

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 25-2022 (2022/77)

1. पूरण पुत्र बीरमा जाति रेगर निवासी रेगर मोहल्ला केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---वादी

♠ बनाम ♠

1. भगवान पुत्र बीरमा जाति रेगर निवासी रेगरान छात्रावास के सामने केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. प्रेम सागर पुत्र बीरमा जाति रेगर निवासी राखडी जयपुर जिला जयपुर
3. श्रीमति श्रवणी पत्नि पोखर जाति रेगर
4. अरुण उर्फ संतोष पुत्र पोखर जाति रेगर
5. निर्मल पुत्र पोखर जाति रेगर
6. गोविन्द पुत्र पोखर जाति रेगर
7. सुमित पुत्र पोखर जाति रेगर
8. जुगलकिशोर पुत्र पोखर रेगर
9. तहसीलदार, तहसील केकड़ी जिला अजमेर
10. शंकरलाल नायक पुत्र रामलाल नायक जाति नायक निवासी कनेई खुर्द तहसील भिनाय जिला अजमेर

--- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-

1. श्री मदनगोपाल चौधरी - अधिवक्ता वादी
2. श्री मीठूसिंह राठौड - अधिवक्ता वादी
3. श्री मुकेश गढवाल - अधिवक्ता प्रतिवादीगण
4. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

आदेश

दिनांक 14/02/2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम वाके ग्राम नाईखेडा तहसील केकड़ी के खाता संख्या नया पुराना 105-100 के खसरा नम्बर 24, 29 का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 09.09.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकड़ी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	शंकरलाल पुत्र रामलाल जाति नायक सा0 कनेईखुर्द खातेदार	24/1	0.1600	बा.1
		किता 1	रकबा 0.1600 है0	
2	पूरण पुत्र बीरमा जाति रेगर सा0 केकड़ी खातेदार	24/2	0.1495	बा.1
		किता 1	रकबा 0.1495 है0	
3	प्रेमसागर पुत्र बीरमा जाति रेगर सा0 जयपुर खातेदार	24/3	0.3095	बा.1
		किता 1	रकबा 0.3095 है0	
4	श्रवणी पत्नि पोखर हि. 1/6, उरुण उर्फ संतोष, निर्मल, गोविन्द, सुमित, जुगलकिशोर पिता पोखर हि. 5/6 जाति रेगर सा0 जयपुर खातेदार	24/4	0.3095	बा.1
		किता 1	रकबा 0.3095 है0	
5	भगवान पुत्र बीरमा जाति रेगर सा0 केकड़ी खातेदार	24/5	0.3095	बा.1
		किता 1	रकबा 0.3095 है0	

6	पूरण पुत्र बीरमा सा10 केकड़ी हि. 1/4 भगवान पिता बीरमा सा10 केकड़ी हि. 1/4, प्रेमसागर पुत्र बीरमा सा10 जयपुर हि. 1/4 श्रवणी पत्नि पोखर सा10 जयपुर हि. 1/24 अरुण उर्फ संतोष, निर्मल, गोविन्द, सुमित, जुगलकिशोर पिता पोखर हि. 5/24 जाति रेगर सा10 जयपुर खातेदार समस्त जाति रेगर खातेदार	24/6 29	0.3120 0.0300	वा.1 वा.1
		कितता 2	रकबा 0.3420 है0	

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग-अलग रंग से चिह्नित किया गया है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि पक्षकारान श्री पूरण पुत्र बीरमा, श्री प्रेमसागर पुत्र बीरमा, श्री अरुण पुत्र पोखरलाल, श्री भगवान पुत्र बीरमा, श्री शंकरलाल पुत्र रामलाल मोर्के पर उपस्थित रहे। वकील पक्षकारान को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की वहीसा पर गौर किया। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	शंकरलाल पुत्र रामलाल जाति नायक सा10 कनेईखुर्द खातेदार	24/1	0.1600	वा.1
2	पूरण पुत्र बीरमा जाति रेगर सा10 केकड़ी खातेदार	कितता 1 24/2	रकबा 0.1600 है0 0.1495	वा.1
3	प्रेमसागर पुत्र बीरमा जाति रेगर सा10 जयपुर खातेदार	कितता 1 24/3	रकबा 0.1495 है0 0.3095	वा.1
4	श्रवणी पत्नि पोखर हि. 1/6, उरुण उर्फ संतोष, निर्मल, गोविन्द, सुमित, जुगलकिशोर पिता पोखर हि. 5/6 जाति रेगर सा10 जयपुर खातेदार	कितता 1 24/4	रकबा 0.3095 है0 0.3095	वा.1
5	भगवान पुत्र बीरमा जाति रेगर सा10 केकड़ी खातेदार	कितता 1 24/5	रकबा 0.3095 है0 0.3095	वा.1
6	पूरण पुत्र बीरमा सा10 केकड़ी हि. 1/4 भगवान पिता बीरमा सा10 केकड़ी हि. 1/4, प्रेमसागर पुत्र बीरमा सा10 जयपुर हि. 1/4 श्रवणी पत्नि पोखर सा10 जयपुर हि. 1/24 अरुण उर्फ संतोष, निर्मल, गोविन्द, सुमित, जुगलकिशोर पिता पोखर हि. 5/24 जाति रेगर सा10 जयपुर खातेदार समस्त जाति रेगर खातेदार	24/6 29	0.3120 0.0300	वा.1 वा.1
		कितता 2	रकबा 0.3420 है0	

तहसीलदार केकड़ी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी.

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)

- उन्वागन
1. पूरण पुत्र बीरमा जाति रेगार निवासी रेगार मोहल्ला केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
-----वादी

- ❖ वनाम ❖
1. भगवान पुत्र बीरमा जाति रेगार निवासी रेगारन छात्रावास के सामने केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. धेम सागर पुत्र बीरमा जाति रेगार निवासी राखडी जयपुर जिला जयपुर
3. श्रीमति श्रवणी पतिन पोखर जाति रेगार
4. अरुण उर्फ संतोष पुत्र पोखर जाति रेगार
5. निर्मल पुत्र पोखर जाति रेगार
6. गोविन्द पुत्र पोखर जाति रेगार
7. सुमित पुत्र पोखर जाति रेगार
8. जुगलकिशोर पुत्र पोखर रेगार
9. तहसीलदार, तहसील केकड़ी जिला अजमेर
10. शंकरलाल नायक पुत्र रामलाल नायक जाति नायक निवासी कनई खुर्द तहसील भिनार जिला अजमेर
----- प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 53,209 राज. कारतकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 25 / 2022 (2022 / 77)
निर्णय दिनांक:- 14/02/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई रुबरु श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री मदनगोपाल चौधरी, श्री मीदूसिंह वकील वादी, श्री मुकेश गढवाल वकील प्रतिवादीगण, पैसेकार सरकार जय तहसीलदार तहसीलदार केकड़ी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुअम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,209 राज. कारतकारी अधिनियम कां दावा स्वीकार किया जाकर ग्राम नार्खेडा के खसरा नम्बर 24 व 29 के निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 09.09.2022 की पालना में बटवारा तहसीलदार केकड़ी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	शंकरलाल पुत्र रामलाल जाति नायक सा0 कनेईखुर्द खातेदार	24 / 1	0.1600	बा.1
2	पूरण पुत्र बीरमा जाति रेगार सा0 केकड़ी खातेदार	किता 1	रकबा 0.1600 है0	
		24 / 2	0.1495	बा.1
		किता 1	रकबा 0.1495 है0	
3	प्रेमसागर पुत्र बीरमा जाति रेगार सा0 जयपुर खातेदार	24 / 3	0.3095	बा.1
		किता 1	रकबा 0.3095 है0	
4	श्रवणी पतिन पोखर हि. 1/6, उरुण उर्फ संतोष, निर्मल, गोविन्द, सुमित, जुगलकिशोर पिता पोखर हि. 5/6 जाति रेगार सा0 जयपुर खातेदार	24 / 4	0.3095	बा.1
		किता 1	रकबा 0.3095 है0	
		24 / 5	0.3095	बा.1
5	भगवान पुत्र बीरमा जाति रेगार सा0 केकड़ी खातेदार	किता 1	रकबा 0.3095 है0	
		किता 1	रकबा 0.3095 है0	



6	<p>पुरण पुत्र बीरमा सा10 केकड़ी हि. 1/4 भगवान पिता बीरमा सा10 केकड़ी हि. 1/4, प्रेमसागर पुत्र बीरमा सा10 जयपुर हि. 1/4 श्रवणी पति पोखर सा10 जयपुर हि. 1/24 अरुण उर्फ संतोष, निर्मल, गोविन्द, सुमित, जुगलकिशोर पिता पोखर हि. 5/24 जाति रेगार सा10 जयपुर खातेदार समस्त जाति रेगार खातेदार</p>	24/6 29	0.3120 0.0300	वा.1 वा.1
		कित्ता 2	रकबा 0.3420 है0	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकड़ी राजस्व रिकॉर्ड जमावदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का अंतिम डिकरी पर्वा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

दीज मुबलिक बावर्.....
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....
 को अदा करे
 बसबल मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/02/23 को जारी की गई।

मुहर

दरतखत
ओहदा

मुददई	रुपया	पैसा	मुदयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कभिश्नर			फीस कभिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
	मीजान	0		मीजान	0

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।